समक्ष : न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. ..../............../................ पुनर्स्थापन - 0618/2019/कटनी/अ०-८७

श्री आवेदक बाहुबली जैन
द्वारा दि. 17-5-19
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 11-6-19 नियत।

मुलर्क ऑफ कोर्ट 17-5-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. बाहुबली जैन
2. जुगराज सिंह पिता बाबू सिंह
3. कुसुम पिता भैयालाल कोल
4. बाबू सिंह पिता विपत सिंह
5. शिवरतन पिता स्व.टिड्ई सोनी
6. कमलेश पिता प्रेमचंद
7. जितेन्द्र कुमार, सतेन्द्र कुमार पिता विजय कुमार जैन
   सभी निवासी ग्राम–स्लीमनाबाद, जिला–कटनी
8. उमा बाई पति गंगाराम
9. किशनलाल पिता श्यामलाल
   दोनों निवासी ग्राम–सिहुँड़ी (छपरा), जिला–कटनी
10. सरस्वती देवी पति सुरेन्द्र सिंह कोल
    निवासी– पान उमरिया, जिला–कटनी
11. दिव्या इशरानी पिता गोपी गिलानी
    निवासी, कटनी, जिला–कटनी

– आवेदकगण

विरूद्ध

1. राजाराम पिता भिम्मा कोल
2. बलराम पिता भिम्मा कोल
   दोनों वयस्क निवासी– खितौला, तह.सिहोरा, जिला–जबलपुर

– प्रत्यर्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 35 एम.पी.एल.आर.सी. एक्ट 1959 के आधार पर रिवीजन–आवेदन की खारिजी को अपास्त किए जाने हेतु एवं सहपठित धारा 32 एम.पी.एल.आर.सी. एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अधीन विचार किए जाने बाबत्।

ऊपर उल्लेखित आवेदकगण विनम्र निवेदन करते हैं :-

1. यह कि आवेदकगण ने माननीय महोदय के समक्ष न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा रा.प्र.क्र. 67/अपील/अ–6/2011–12 राजाराम बगैरह विरूद्ध सुरेश प्रसाद शर्मा एवं अन्य 15 बगैरह में दिनांक 30/08/2013 को पारित किए गये आदेश से व्यथित होकर रिवीजन(रा.प्र.क्र. 3000/I/15) प्रस्तुत किया है।
2. माननीय महोदय के न्यायालय में विचाराधीन कथित रिवीजन प्रकरण में आवेदकगण अपने अधिवक्ता श्री राजकुमार राज एडवोकेट (हाईकोर्ट म.प्र. जबलपुर) के माध्यम से माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं जबलपुर कैम्प के दौरान निर्धारित पेशियों पर उपस्थित होते रहे हैं।
3. यह कि आवेदकगण के अधिवक्ता माननीय श्री राजकुमार राज एडवोकेट रिवीजन संस्थित दिनांक के

क्रमशः 2

NOTARY N. Pandey Reg No 895 GOVT OF INDIA

रेस्टो०-618/2019/कटनी/Rev

12-6-19

आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 3000-एक/2015 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

रीडर